राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक : 06 SEP 2022

परिपत्र

विषय : दिनांक 01–01–2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित होने के उपरान्त भी NPS के अन्तर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग परिपत्र क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 28–8–2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 28–8–2022 के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा NPS के अन्तर्गत दिनांक 1–4–2022 से दिनांक 28–8–2022 तक आहरण की गई राशि को दिनांक 31–12–2022 तक अधिकतम चार किश्तों में निम्न बजट मद में जमा कराई जावे :

8009 – राज्य भविष्य निधि
01 – सिविल
101 – सामान्य भविष्य निधि
(03) – जी.पी.एफ. – 2004

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 28–8–2022 के पश्चात् भी NPS के अन्तर्गत आहरण के लिये आवेदन किया जाता है तो परिपत्र दिनांक 28–8–2022 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रोहित
(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त निर्देशों की पालना हेतु।
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा (IFMS)
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, कोष एवं लेखा NIC (IFMS)
14. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
15. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
16. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

6/9/22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(NPS 04 / 2022)